पाकार है। नियत हाजिर होकर कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 01-02-19 को पेश हों।

01-2-19 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुवे। पिछली तारीख पर नोटिस तलबाना पेश करने के पूर्व आदेशानुसार विशेष किया गया। बार बार आदेशित करने के बावजूद भी अमल तलबाने पेश नहीं किये। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम तकमील के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बोकट गमबट से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
टोंडगढ़